अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 9/2016-सेवा कर

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 467(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(क) पहले पैरा में,--

(i) प्रविष्टि 6 में, खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(ख) अधिवक्ताओं की कोई भागीदारी फर्म या वरिष्ठ अधिवक्ता से भिन्न किसी अधिवक्ता के रूप में कोई व्यष्टि, निम्नलिखित को विधिक सेवाएं प्रदान करके–

(i) विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला कोई अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की भागीदारी फर्म ;

(ii) किसी कारबार अस्तित्व से भिन्न कोई व्यक्ति ; या

(iii) किसी कारबार अस्तित्व, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त दस लाख रूपए तक था ; या

(ग) कोई वरिष्ठ अधिवक्ता सामान्य रूप से किसी उद्योग, वाणिज्य या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से संबंधित कोई क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करके ;";

(ii) प्रविष्टि 9क के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि 1 मार्च, 2006 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"9ख केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा अपने छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम के सिवाय निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं,--

(क) प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंध में द्विवर्षीय पूर्णकालिक आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर किए जाते हैं;

(ख) प्रबंध में अध्येता कार्यक्रम;

(ग) प्रबंध में पंचवर्षीय समेकित कार्यक्रम ।";

(iii) इस प्रकार अंत:स्थापित प्रविष्टि 9ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"9ग. कौशल विकास पहल (कौ.वि.प.) स्कीम के अधीन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय रूप से पैनलकृत निर्धारण निकायों की सेवाएं ;

9घ. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रस्थापित करके ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।";

(iv) प्रविष्टि सं0 12 के पश्चात्, 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"12क. ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो 01.03.2015 से पूर्व की गई है और जिस पर उपयुक्त स्टांप शुल्क, जहां कहीं लागू हो, का संदाय उक्त तारीख से पूर्व किया गया था, निम्नलिखित का संनिर्माण, परिनिर्माण, उसे आरंभ करने, संस्थापन, पूरा करने, फिटिंग करने, मरम्मत, अनुरक्षण करने, उनका नवीकरण या उनमें परिवर्तन करके सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई सेवाएं–

(क) वाणिज्यिक, उद्योग या किसी अन्य कारबार या वृत्ति से भिन्न किसी उपयोग के लिए प्रधानतः कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल संकर्म के लिए है ;

(ख) ऐसी कोई संरचना, जो प्रधानतः (i) किसी शैक्षणिक, (ii) किसी नैदानिक, या (iii) किसी कला या सांस्कृतिक स्थापन के रूप में उपयोग के लिए है ;

(ग) ऐसा कोई आवसीय परिसर, जो प्रधानतः स्वःउपयोग या उनके कर्मचारियों के उपयोग या उक्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड (44) के स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए है :

परन्तु इस प्रविष्टि में अन्तर्विष्ट कोई बात 01.04.2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।"

(v) प्रविष्टि 13 में मद (ख) के पश्चात् 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्--

"(खक) केवल विद्यमान गंदी बस्ती निवासियों के लिए ही 'प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना के अधीन संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर विद्यमान गंदी बस्ती निवासियों के स्वःस्थाने पुर्नवास' विषयक सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य ;

(खख) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवास के अधीन व्यष्टि गृह संनिर्माण/वृद्धि आधारित फायदाग्राही विषयक कोई सिविल संरचना या कोई अन्य मूल कार्य;";

(vi) प्रविष्टि 14 में,

अ. मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(क) मोनोरेल और मैट्रो को छोड़कर, रेल;

स्पष्टीकरण--मोनो रेल या मैट्रो से संबंधित मूल कार्यों के संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रवर्तन में लाने या संस्थापन के माध्यम से ऐसी सेवा, जहां संविदाएं 1 मार्च, 2016 के पूर्व हुई हैं जिन पर समुचित स्टांप ड्यूटी शुल्क संदत्त किया गया है, पर छूट जारी रहेगी।"।

आ. मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्–

"(गक) (i) सभी के लिए आवास (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के संघटक "सहभागिता में वहनयोग्य आवास";

(ii) किसी राज्य सरकार की कोई आवास स्कीम,

के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी आवास परियोजना में प्रतिमकान 60 वर्ग मीटर के सतह क्षेत्र तक के कम लागत के मकान ।"।

(vii) प्रविष्टि सं0 14 के पश्चात्, 1 मार्च, 2016 से निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"14क. ऐसी किसी संविदा के अधीन, जो 01.03.2015 से पूर्व की गई है और जिस पर उपयुक्त स्टांप शुल्क, जहां कहीं लागू हो, का संदाय उक्त तारीख से पूर्व किया गया था, किसी वायुपत्तन या पत्तन से संबंधित किन्हीं मूल संकर्मों का संनिर्माण, परिनिर्माण, उसे आरंभ, संस्थापन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं :

परन्तु यथास्थिति, सिविल विमानन मंत्रालय या पोत परिवहन मंत्रालय यह प्रमाणित करता है कि ऐसी संविदा 1 मार्च, 2015 से पूर्व की गई थी :

परन्तु यह और कि इस प्रविष्टि में अन्तर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।"

(viii) प्रविष्टि 16 में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ix) प्रविष्टि 23 में,--

(अ) खंड (ख) के पश्चात् 1 जून, 2016 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(खख) वातानुकूलित स्टेज कैरिज से भिन्न स्टेज कैरिज ;"

(आ) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(x) प्रविष्टि 26 में खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(थ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) के अधीन गठित न्यास द्वारा कार्यान्वित निरमया स्वास्थ्य बीमा स्कीम ।";

(xi) प्रविष्टि 26ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"26ग. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के अधीन भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (भा.पे.नि.वि.वि.प्रा.) द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन वार्षिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई जीवन बीमा कारबार की सेवाएं ; ";

(xii) प्रविष्टि 48 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"49. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन शासित व्यक्तियों को दी गई सेवाएं ;

50. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भा.बी.वि.वि.प्रा.) द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन बीमाकर्ताओं को दी गई सेवाएं ;

51. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) द्वारा, प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के हितों की संरक्षा करके और प्रतिभूति बाजारों का संवर्धन और विकास तथा उनका विनियमन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ;

52. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शीतागार श्रृंखला विकास केन्द्र द्वारा शीतागार श्रृंखला संबंधी जानकारी का प्रसार करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।";

(xiii) इस प्रकार अंतःस्थापित प्रविष्टि 52 के पश्चात्, एक जून, 2016 से, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"53. किसी वायुयान द्वारा भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में निकासी के सीमाशुल्क केन्द्र तक मालों का परिवहन करके उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।";

(ख) पैरा 2 में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड उस तारीख से अंत:स्थापित किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2016 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात्:--

'(खक) "अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध सहबद्ध किसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र या शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन अधिसूचित अभिहित शिल्प में शिक्षा देने वाले राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा चलाया जा रहा पाठ्यक्रम; या

(ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुमोदित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय के पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा मॉड्यूलर नियोजित होने योग्य कौशल पाठ्यक्रम;';

(ii) खंड (णक) के स्थान पर, निम्नलिखित उस तारीख से रखा जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2016 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अर्थात्:--

'(णक) "शैक्षणिक संस्था" से निम्नलिखित द्वारा सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था अभिप्रेत है:--

(i) विद्यालय पूर्व शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा या समतुल्य;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;

(iii) अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के भाग के रूप में शिक्षा;"।

(iii) खंड (यघ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(यघघ) "वरिष्ठ अधिवक्ता" का वही अर्थ होगा, जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 16 में उसका है ;'

2. इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं0 25/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 द्वारा सा.का.नि. 467(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 7/2016-सेवा कर, तारीख 18 फरवरी, 2016, सा.का.नि. 184(अ) तारीख 18 फरवरी, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।